न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (राज0)
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत-अटल सेवा केन्द्र रामपुरा

नमा.अपील संख्या 4/2017

बनाम

अपीलाण्टगण

1– गैरीदेवी पुत्री ओटाराम जाति सरगडा आयु 65 वर्ष पेशा खेती नि.रामपुरा हाल जावाल
2– पंकुदेवी पुत्री ओटाराम जाति सरगडा आयु 62 वर्ष पेशा खेती निवासी रामपुरा हाल हीरागरवास मामावली तह.व जि.सिरोही
3– धापूदेवी पुत्री ओटाराम जाति सरगडा आयु 59 वर्ष पेशा खेती नि.रामपुरा हाल खाम्बल तहसील व जिला सिरोही
4– सीतादेवी पुत्री ओटारामजी जाति सरगडा आयु 45 वर्ष पेशा खेती नि.रामपुरा हाल डोडुआ तह.व जिला सिरोही
5– जमनादेवी पुत्री ओटाराम जाति सरगडा आयु 40 वर्ष पेशा खेती नि.रामपुरा हाल बरलुट तहसील व जिला सिरोही

रेस्पोडेण्टगण

1– ग्राम पंचायत रामपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा तह.व जि.सिरोही
2– वागाराम पुत्र ओटाराम जाति सरगडा निवासी रामपुरा तह.व जि. सिरोही
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार-सिरोही

उपस्थित :–
1– अपीलाण्टगण स्वंय गैरी-पंकु-धापू-सीता-एवं जमना एवं इनकी ओर से वकील श्री शैतान भाटी
2– रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा
3– रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से स्टेट तहसीलदार-सिरोही

नामा.अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहत बविरूद्व म्युटेशन निरस्त करने म्युटेशन संख्या 467 दिनांक 6–6–2000 रारपंच ग्राम पंचायत रामपुरा तहसील व जिला सिरोही राजस्थान

निर्णय दिनांक 25–6–2018

अपीलाण्टगण संख्या 1 से 5 तक ने यह नामान्तकरण अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम बविरूद्व नामान्तकरण संख्या 467 दिनांक 6–6–2000 ग्राम पंचायत रामपुरा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक की इस न्यायालय मे दिनांक 22–9–2017 को पेश की है। अपीलाण्टगण ने उक्त अपील मे निवेदन किया कि संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही मे अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या दो व स्व. श्री मंछाराम के पुश्तैनी खातेदारी तथा कब्जा काश्त की निम्नलिखित कृषि आराजी आयी हुई है जिसके पुराने खसरा नंबर व क्षैत्रफल निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	खाता सं. नये/पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1.	17/15	226	9 बीघा 12 विस्वा	बा.ा चा.मा.मे.
2.		232	5 बीघा 15 विस्वा	बा.ा चा.ा
3.		233	2 बीघा 07 विस्वा	बा.ा
4.		234	1 बीघा 15 विस्वा	बा.ा
5.		235	1 बीधा 13 विस्वा	बा.ा
6.		236	0 बीघा 10 विस्वा	आ.चा.
7.		237	0 बीघा 11 विस्वा	बा.ा
8.		238	0 बीघा 7 विस्वा	बा.ा
9.		239	0 बीघा 12 विस्वा	नाला
10.		240	0 बीधा 07 विस्वा	बा.ा
11.		241	0 बीघा 15 विस्वा	बा.ा
12.		242	1 बीधा 00 विस्वा	बा.ा

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

कुल खसरा 12 कुल क्षेत्रफल 25 बीघा 07 विस्वा

उसके नये खसरा नंबर व क्षैत्रफल

क्र.सं.	खाता सं. नये/पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1.	205	287	1.5800 हैक्टेयर	
2.		295	0.2800 हेक्टेयर	
3.		296	0.2700 हेक्टेयर	
4.		297	0.0800 हेक्टेयर	
5.		1025/293	0.6600 हेक्टेयर	
6.		1026/294	0.0250 हैक्टेयर	
7.		1027/298	0.0093 हेक्टेयर	
8.		1028/320	0.0320 हेक्टेयर	
9.				
		कुल खसरा 8	कुल क्षैत्रफल 2.9363 हेक्टेयर	
10.				

उपरोक्त पुराने खसरा नंबर मेसे रेस्पोडेण्ट संख्या दो के द्वारा नये खसरा मे पुश्तैनी कृषि भूमि को अपीलाण्टगण के हक हिस्से की भी बेचान की गई है जो बिल्कूल गलत की गई है। उपरोक्त आराजी अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण के पिताजी स्व. ओटाराम सरगडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अपीलाण्टगण के पिताजी स्व. ओटारामजी की मृत्युहोने के बाद उक्त आराजी मे प्रत्येक अपीलाण्ट का 1/6 हक हिस्सा है, इस प्रकार सभी अपीलाण्टगण का 5/6 हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उपरोक्त आराजी मे रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का केवल मात्र 1/6 हक हिस्सा है। उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलाण्टगण भाई मंछाराम पुत्र श्री ओटारामजी था, जिसकी नाऔलाद फौत हो गई है।अपीलाण्ट के पिता स्व. श्री ओटाराम पुत्र श्री चेलारामजी सरगडा जाति सरगडा निवासी रामपुरा के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तकरण के जरिये अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण संख्या दो का नाम दर्ज करने के बजाय राजस्व अधिकारियों ने केवल मात्र रेस्पोडेण्टगण संख्या दो को स्वर्गीय ओटाराम के उत्तराधिकारी होना बताकर गलत नाम गलत दर्ज किया गया जबकि स्वर्गीय ओटाराम की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण संख्या दो प्रत्येक का एक बटा छठा हिस्सा प्रत्येक का है तथा अपीलाण्ट के पिता स्वर्गीय श्री ओटाराम पुत्र श्री चेलारामजी सरगडा जाति सरगडा निवासी रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही की फौत के वक्त हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत उनके सभी जीवित जायज वारिसदारों के नाम से फौतगी म्यूटेशन स्वीकृत क रनाम दर्ज करना चाहिये था, लेकिन अपीलाण्ट का उक्त आराजी पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजी को रेस्पोडेण्टगण संख्या दो विक्रय करने की धमकी देने पर अपीलाण्टगण के द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्धित तमाम नई व पुरानी नकले लेने पर जानकारी हुई कि अपीलाण्टगण के पिता स्वर्गीय श्री ओटाराम पुत्र श्री चेलाराम सरगडा जाति सरगडा निवासी रामपुरा तहसील सिरोही की फौतगी म्युटेशन संख्या 467 केवल मात्र रेस्पोडेण्टगण संख्या दो व स्वर्गीय मंछाराम के नाम किया गया तथा रेस्पोडेण्ट संख्या एक ग्राम पंचायत रामपुरा के द्वारा स्वीकृत किया गया उक्त म्युटेशन मे अपीलाण्टगण के द्वारा फौतगी म्युटेशन संख्या 467 को निरस्त करने हेतु निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत है:–

(ए) मौजा रामपुरा का फौतगी नामान्तकरण संख्या 467 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वर्गीय श्री ओटाराम पुत्र श्री चेलाराम सरगडा निवासी रामपुरा के समस्त विधिक उत्तराधिकारियें अर्थात वारिसदारों के नाम को सम्मिलत नही करने के कारण विधि विरुद्व होने से बनाये रखे जाने योग्य नही है। अपीलाण्टगण के पिता स्वर्गीय श्री ओटाराम पुत्र श्री चेलाराम सरगडा निवासी रामपुरा के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी, स्वर्गीय श्री ओटाराम के वारिसदारान का पेढीपत्रक निम्न प्रकार है :–

मृतक
ओटाराम पुत्र श्री चेलाराम सरगडा

वगाराम	स्व.मंछाराम	गैरीदेवी	पंकूदेवी	धापूदेवी	सीतादेवी	जमना

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 3

उपरोक्त आराजी अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण के पिताजी स्व. ओटाराम सरगडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अपीलाण्टगण के पिताजी स्व. ओटारामजी की मृत्युहोने के बाद उक्त आराजी मे प्रत्येक अपीलाण्ट का 1/6 हक हिस्सा है,इस प्रकार सभी अपीलाण्टगण का 5/6 हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उपरोक्त आराजी मे रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का केवल मात्र 1/6 हक हिस्सा है। उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलाण्टगण भाई मंछाराम पुत्र श्री ओटारामजी था,जिसकी नाऔलाद फौत हो गई है।अपीलाण्ट के पिता स्व. श्री ओटाराम पुत्र श्री चेलारामजी सरगडा जाति सरगडा निवासी रामपुरा के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तकरण के जरिये अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण संख्या दो का नाम दर्ज करने के बजाय राजस्व अधिकारियों ने केवल मात्र रेस्पोडेण्टगण संख्या दो को स्वर्गीय ओटाराम के उत्ताधिकारी होना बताकर गलत नाम गलत दर्ज किया गया ।उपरोक्त वंशावली के अनुसार यह स्पष्ट है कि स्वर्गीय श्री ओटाराम पुत्र श्री चेलाराम सरगडा के विधिक वारिस अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण संख्या दो व स्वर्गीय श्री मंछाराम थे,ओटाराम की फौत के बाद जो फौतगी म्युटेशन ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया है,उक्त म्युटेशन जायज वारिस वागाराम व स्वर्गीय मंछाराम का नाम दर्ज करना चाहिये था लेकिन भूल व त्रुटिवश फौतगी म्युटेशन संख्या 467 मे ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा स्वीकृत दिनांक 2–6–2000 के तहत केवल उनके एक पुत्र वागाराम पुत्र श्री ओटाराम व स्वर्गीय मंछाराम के नाम से ही म्युटेशन स्वीकृत किया गया तथा अपीलाण्टगण को अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि से वंचित कर दिया (बी) यह कि मौजा रामपुरा के अपील मे प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 467 को स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट जिसके हित प्रभावित हो रहे थे अपीलाण्टगण को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुपालना नही की होने के कारण बनाये रखे जाने योग्य नही है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ग्राम पंचायत रामपुरा व पटवार हल्का रामपुरा ने बिना कोई जांच किये रेस्पोडेण्ट संख्या दो के ह कमे गलत म्युटेशन स्वीकृत किया गया व अपीलाण्ट को बिना सुने म्युटेशन दायर किया है जो कानुनन गलत दर्ज किया गया है जो प्रथम दृष्टयॉ निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाया जाकर मौजा रामपुरा के नामान्तकरण संख्या 467 को स्वीकृत करने के ग्राम पंचायत रामपुरा के आदेश को अपास्त फरमावें । तथा स्वर्गीय श्री ओटाराम के सभी विधिक वारिसदार व उत्तराधिकारीगण अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करते हुये नये सिरे से म्युटेशन स्वीकृत हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या एक पर आदेश फरमावें कि स्वर्गीय ओटाराम के वारिसदार व उत्तराधिकारीगण अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्ट संख्या दो के नाम से फौतगी म्युटेशन स्वीकृत करने का आदेश फरमावें तथा खाता नंबर नया 205 व रेस्पोडेण्ट संख्या दो बेचान की गई आराजी मे अपीलाण्टगण प्रत्येक का 1/6 हक हिस्से का व रेस्पोडेण्ट संख्या दो का केवल मात्र 1/6 हक हिस्से का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश तहसीलदार,सिरोही को फरमावें ।

अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही जमाबबंदी संवत 2049 से 2052 खाता नंबर 17 खसरा नंबर 226,232 से 242 तक कुल 12 कुल क्षैत्रफल 25.07 हेक्टेयर ओटीया पुत्र चेला सरगडा सा.देह खातेदार प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 467 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो अपील मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 22–9–2017 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 तक को जवाब पेश करने हेतु सम्मनस जारी किये गये । जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 23–10–2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से वकील श्री नगेन्द्र मेडतियॉ ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया तथा जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे समय दिया गया तथा वकील अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का सम्मन तामिल नही होने से नया सम्मन पेश करने हेतु समय दिया गया । जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को जारी सम्मन तामिल होकर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 26–2–2018 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के वकील व रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्टेट पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से समय दिया गया ।

आज दिनांक 25–6–2018 को विचारण प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण को जारी केम्प कोर्ट का नोटिस तामिल शुदा प्रापत होने से शामिल मिसल किया गया ।रेस्पोडेण्ट संख्या 2 स्वंय व उनके वकील को केम्प कोर्ट की जानकारी व नोटिस तामिली के बावजूद सुनवाई के दौरान हाजिर नही हुये है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 वागाराम के वकील को जवाब पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक 23–10–2017 से आज तक न्यायहित मे पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी तथा .सी.

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

पी.सी.के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब पेश नही करने से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का जवाब बंद करने के आदेश दिये गये ।

विचारण प्रकरण की इस राजस्व लोक अदालत मे सुनवाई के दौरान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा ने जवाब किया जिसे शामिल मिसल किया गया । सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा ने अपने जवाब मे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रामपुरा ने नामान्तकरण संख्या 467 दिनांक 2–6–2000 मे ओटाराम पुत्र चेला सरगडा की मृत्यु होने पर उसके वारिसदार मंछाराम ,वागाराम पि. ओटाराम के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया किन्तु ओटाराम के विधिक वारिसदार मे उनकी पुत्रीयॉ गैरी,पंकु,धापु,सीता,जमना भी है। अतः इस प्रकार ओटाराम के दो पुत्र व पांच पुत्रीयॉ वारिसदार होनी चाहिये थी उक्त सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा दिनांक 27–10–2017 को वारिसदार प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है।

विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से संयुक्त मौका जांच संबंधित पटवारी हल्का रामपुरा व भू.अ.नि. रामपुरा की मौका जांच फर्द दिनांक 25–6–2018 की पेश हुई जिसे शामिल मिसल किया गया । उक्त संयुक्त मौका जांच मे यह कथन किया है कि अपील मे वर्णित भूमि पुराना खसरा नंबर 226,232 से 242 तक कुल किता 12 की कुल भूमि रकबा 25 बीघा 07 विस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता संख्या 234 मे वागाराम पुत्र ओटाराम के नाम से खसरा नंबर 287,295,296,297,1025/293,1026/294 ,1027/298 व 1028/302 कुल रकबा 2.9363 हेक्टेयर है तथा खाता संख्या 258 के अनुसार भंवरलाल पुत्र रामलाल श्रीमति टिंकल पत्नि भंवरलाल जाति मेघवाल सा.सियाणा हाल सिरोही के नाम से खसरा नंबर 299,300,301,303,1021/293,1022/294,1023/298 कुल किता 8 का कुल रकबा 1.1637 हेक्टेयर है। इस प्रकार दोनो खातो का मिलाकर कुल रकबा 4.1000 हेक्टेयर अर्थात 25 बीघा 07 विस्वा हो रहा है। मौके पर खसरा नंबर 299,300,301,303,1021/293,1022/294 ,1023/298 का कुल रकबा 1.1637 हेक्टेयर जो भंवरलाल व टिंकल के नाम से है जिसमे रहवासी मकानात बने हुये है। शेष खसरा नंबर 287,295,296,297,1025/293,1026/294,1027/296,व 1028/302 का कुल रकबा 2.9363 हेक्टेयर है जो कृषि प्रयोजनार्थ मौके पर उपयोग हो रही है। मौके पर कुंआ पुराना है जिस पर विधुत पम्पसेट लगा हुआ है एवं उक्त पम्पसेट से भूमि को सिंचित किया जा रहा है। वर्तमान मे भंवरलाल व टिकल के खाते की भूमि को छोडकर शेष भूमि वागाराम पुत्र ओटाराम सरगडा के नाम की भूमि पर श्री वागाराम अकेला ही काबिज होकर काश्त कर रहा है।

हमने अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील सिरोही जमाबबंदी संवत 2049 से 2052 खाता नंबर 17 खसरा नंबर 226,232 से 242 तक कुल 12 कुल क्षैत्रफल 25.07 हेक्टेयर ओटीया पुत्र चेला सरगडा सा.देह खातेदार प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 467 व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा का जवाब तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्टेट तहसीलदार,सिरोही का जवाब का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । विचारण प्रकरण मे रेस्पोडेण्ट संख्या 2 वागाराम की ओर से जवाब 90 दिन की समयावधि मे सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत पेश नही करने से आज रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का जवाब बंद किया गया है। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त विचारण प्रकरण मे मौके एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर निष्कर्षत्यात्मक तथ्यात्मक वस्तुस्थिति सामने आई कि सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा ने अपने जवाब मे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रामपुरा ने नामान्तकरण संख्या 467 दिनांक 2–6–2000 मे ओटाराम पुत्र चेला सरगडा की मृत्यु होने पर उसके वारिसदार मंछाराम,वागाराम पि. ओटाराम के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया किन्तु ओटाराम के विधिक वारिसदार मे उनकी पुत्रीयॉ गैरी,पंकु,धापु,सीता,जमना भी है। अतः इस प्रकार ओटाराम के दो पुत्र व पांच पुत्रीयॉ वारिसदार होनी चाहिये थी उक्त सम्बन्ध मे ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा दिनांक 27–10–2017 को वारिसदार प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 3 स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से संयुक्त मौका जांच संबंधित पटवारी हल्का रामपुरा व भू.अ.नि. रामपुरा की मौका जांच फर्द दिनांक 25–6–2018 की पेश हुई जिसे शामिल मिसल किया गया । उक्त संयुक्त मौका जांच मे यह कथन किया है कि अपील मे वर्णित भूमि पुराना खसरा नंबर 226,232 से 242 तक कुल किता 12 की कुल भूमि रकबा 25 बीघा 07 विस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खाता संख्या 234 मे वागाराम पुत्र ओटाराम के नाम से खसरा नंबर 287,295,296 ,297,1025/293,1026/294,1027/298 व 1028/302 कुल रकबा 2.9363 हेक्टेयर है तथा खाता संख्या 258 के अनुसार भंवरलाल पुत्र रामलाल श्रीमति टिंकल पत्नि भंवरलाल जाति मेघवाल सा. सियाणा हाल सिरोही के नाम से खसरा नंबर 299 ,300 ,301 ,303 ,1021/293 ,1022/294 ,1023/298 कुल किता 8 का कुल रकबा 1.1637 हेक्टेयर है। इस प्रकार दोनो खातो का मिलाकर कुल रकबा 4.1000 हेक्टेयर अर्थात 25 बीघा 07 विस्वा हो रहा है। मौके पर खसरा नंबर 299,300 ,301,303,1021/293,1022/294,1023/298 का कुल रकबा 1.1637 हेक्टेयर जो भंवरलाल व

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

निरन्तर पेज नं. 5

टिंकल के नाम से है जिसमे रहवासी मकानात बने हुये है। शेष खसरा नंबर 287,295,296,297,1025/293,1026/294,1027/296,व 1028/302 का कुल रकबा 2.9363 हेक्टेयर है जो कृषि प्रयोजनार्थ मौके पर उपयोग हो रही है। मौके पर कुंआ पुराना है जिस पर विधुत पम्पसेट लगा हुआ है एवं उक्त पम्पसेट से भूमि को सिंचित किया जा रहा है। वर्तमान मे भंवरलाल व टिकल के खाते की भूमि को छोडकर शेष भूमि वागाराम पुत्र ओटाराम सरगडा के नाम की भूमि पर श्री वागाराम अकेला ही काबिज होकर काश्त कर रहा है। उपरोक्त अपील मे अंकित पेढीपत्रक व उसके समर्थन मे सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा के जवाब तथा तहसीलदार,सिरोही के जवाब के आधार पर उपरोक्त आराजी अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण के पिताजी स्व. ओटाराम सरगडा के खातेदारी व कब्जे काश्त की है। अपीलाण्टगण के पिताजी स्व. ओटारामजी की मृत्युहोने के बाद उक्त आराजी मे प्रत्येक अपीलाण्ट का 1/6 हक हिस्सा है,इस प्रकार सभी अपीलाण्टगण का 5/6 हक हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा उपरोक्त आराजी मे रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का केवल मात्र 1/6 हक हिस्सा है। उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलाण्टगण भाई मंछाराम पुत्र श्री ओटारामजी था,जिसकी नाऔलाद फौत हो गई है।अपीलाण्ट के पिता स्व. श्री ओटाराम पुत्र श्री चेलारामजी सरगडा जाति सरगडा निवासी रामपुरा के स्वर्गवास के पश्चात नामान्तकरण के जरिये अपीलाण्टगण व रेस्पोडेण्टगण संख्या दो का नाम दर्ज करने के बजाय राजस्व अधिकारियों ने केवल मात्र रेस्पोडेण्टगण संख्या दो को स्वर्गीय ओटाराम के उत्तराधिकारी होना बताकर गलत नाम गलत दर्ज किया गया। अतः उपरोक्त सभी आधार पर अपीलाण्टगण संख्या 1 से तक की यह अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 तक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। तथा विवेचनाधीन नामान्तरकरण संख्या 467 दिनांक 6–6–2000 ग्राम पंचायत रामपुरा का प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के आधार विधि विरूद्व होने से एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही) को इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का नियमानुसार निर्धारित समयावधि मे निस्तारण कर विधिवत रूप से नया नामान्तकरण दायर करें । निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

25/6/18

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)